

न्यायालय जे० एम ० मऊरानीपुर, जिला- झाँसी।

मुकदमा सं० - 1287/2009

सरकार बनाम सुनील,

आदेश

मैं रविकांत यादव, जे० एम ० मऊरानीपुर, जिला- झाँसी आप अभियुक्त सुनील उर्फ राजेन्द्र पांचाल थाना मऊरानीपुर के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाता हू-

- 1- यह कि दिनांक 18.04.2009 समय करीब 8.30 बजे शाम स्थान बडागांव तिराहे से छतरपुर की ओर थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा आपकी पहनी पैंट के बायी फेट से एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व पैंट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। जिसे रखने के सम्बन्ध में कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। जो कि आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत दण्डनीय अपराध है जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप अभियुक्त को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 26.02.16

जे० एम ०, मऊरानीपुर

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने विरचित आरोप से इन्कार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक 26.02.16

जे० एम ०, मऊरानीपुर

जिला- झाँसी।